



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (iii)
PART II — Section 3 — Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55]
No. 55]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2008/ज्येष्ठ 9, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2008/JYAISTHA 9, 1930

भारत परिसीमन आयोग
आदेश सं. 60
नई दिल्ली, 30 मई, 2008

आ.अ. 62 (अ).— यतः परिसीमन (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2004 का 3) द्वारा यथा संशोधित परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 4 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 9 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग ने 14 सितम्बर, 2006 को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार के निर्धारण के लिए अपना अंतिम आदेश (आदेश सं० 30) पारित किया है ; और

यतः, आयोग ने दिनांक 20 सितम्बर, 2006 की अपनी अधिसूचना सं० 282/दिल्ली/2006/खण्ड- V के द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के अपने अंतिम आदेश को भारत के राजपत्र और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के राज्य के राजपत्र में अधिसूचित किया है; और

यतः अंतिम आदेश के प्रकाशन के पश्चात्, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र ने अपने दिनांक 19 मई, 2008 तथा 22 मई, 2008 के पत्र सं० मु०नि०अ०/नि०जी०/102(3)/2008 द्वारा आयोग को सूचित किया था कि विभिन्न ज़िला निर्वाचन अधिकारियों ने बताया है कि उनके प्रभार के अधीन नवीन परिसीमित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में भौगोलिक सम्बद्धता के संबंध में कुछ विसंगतियां हैं; और

यतः, परिसीमन आयोग ने एक समिति का गठन किया ताकि वह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में द्वीपों के कथित निर्माण के सत्यापन के लिए सम्बन्धित क्षेत्रों में जाकर प्रत्यक्ष जांच करे; और

यतः, परिसीमन आयोग की उक्त समिति ने प्रत्यक्ष जांच के बाद यह पाया कि बहुत से मामलों में कुछ गणना खण्ड (ई0बी0) उन निर्वाचन क्षेत्रों के अन्य हिस्सों से सम्बद्ध नहीं है जिन निर्वाचन क्षेत्रों में उन्हें आयोग के आदेशानुसार सम्मिलित किया गया था तथा निकटवर्ती निर्वाचन क्षेत्रों में द्वीप बनाते हैं; और

यतः, परिसीमन आयोग की उक्त समिति ने सूचित किया है कि ये विसंगतियां भारत के महा रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा विशेष कॉलोनी/मुहल्ले के गणना ब्लकों की बेतरतीबी से किए गए संख्यांकन के कारण हुई हैं। भारत के महा पंजीयक द्वारा दिए गए नक्शे भी स्पष्ट नहीं हैं तथा नक्शों पर इन गणना खण्डों की स्थिति भी उचित प्रकार से इंगित नहीं की गई है, जैसा कि इन स्थानों पर जा कर प्रत्यक्ष जांच करने पर पता चला है; और

यतः, आयोग ने परिसीमन अधिनियम, 2002 के उपबन्धों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र द्वारा भौगोलिक सम्बद्धता को ध्यान में रखते हुए उसके समक्ष लाए गए तथ्यों पर विचार किया और उसका सत्यापन किया तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र द्वारा बताए गए अनेक तथ्यों को सही पाया गया है।

अतः अब, अनजाने में हुई उक्त त्रुटि को शुद्धि पत्र द्वारा सुधारने का तथा परिसीमन अधिनियम के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए परिसीमन आयोग एतद्वारा आदेश देता है कि —

आयोग की दिनांक 20 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं० 282/दिल्ली/2006/खण्ड-V की सारणी-क में :-

- (1) 16-त्रिनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार से दिल्ली नगर निगम के वार्ड सं० 28 के गणना खंड (ई0बी0) सं० 107 को हटा कर 17-वजीरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए।
- (2) 5-बादली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार से दिल्ली नगर निगम वार्ड सं० 34 के गणना खंड (ई0बी0) सं० 179 को हटा कर 6-रिठाला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए।

- (3) 6-रिठाला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार से दिल्ली नगर निगम के वार्ड सं० 33 के गणना खंड (ई०बी०) सं० 434 को हटा कर 13-रोहिणी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए।
- (4) 68-गोकुलपुर (अ०जा०) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार से दिल्ली नगर निगम के वार्ड सं० 83 के गणना खंड (ई०बी०) सं० 199 से 200 को हटा कर 63-सीमापुरी (अ०जा०) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए।
- (5) 62-शाहदरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार से दिल्ली नगर निगम के वार्ड सं० 84 के गणना खंड (ई०बी०) सं० 110 को हटा कर 63-सीमापुरी (अ०जा०) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए।
- (6) 63-सीमापुरी (अ०जा०) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार से दिल्ली नगर निगम के वार्ड सं० 85 के गणना खंड (ई०बी०) सं० 152 को हटा कर 68-गोकुलपुर (अ०जा०) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए।
- (7) 53-बदरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार से दिल्ली नगर निगम के वार्ड सं० 65 के गणना खंडो (ई०बी०) सं० 52 से 54 को हटा कर 54-ओखला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए।

तदनुसार, आयोग का दिनांक 20 सितम्बर, 2006 का आदेश सं० 30 संशोधित माना जाता है।

यह आदेश परिसीमन आयोग के सभी सदस्यों की सहमति से जारी किया जाता है।

[सं. 282/दिल्ली/2008]

आदेश से,

शंगारा राम, सचिव

**DELIMITATION COMMISSION OF INDIA
ORDER NO. 60**

New Delhi, the 30th May, 2008

O.N. 62(E).—WHEREAS, in pursuance of clause (d) of sub-section (2) of Section 9 read with sub-section (2) of Section 4 of the Delimitation Act, 2002(33 of 2002), as amended by the Delimitation (Amendment) Act, 2003 (3 of 2004), the Delimitation Commission has passed its final order (Order No. 30) determining the extent of Assembly and Parliamentary Constituencies in the State of NCT of DELHI on 14th September, 2006; and

WHEREAS, the Commission has notified its final order dated 14th September, 2006 vide its notification No. 282/DL/2006-Vol. V, dated 20th September, 2006 in the Gazette of India and the State Gazette of NCT of Delhi Government; and

WHEREAS, after publication of final order, the Chief Electoral Officer, NCT of Delhi, vide her letters no. CEO/EL.G/102(3)/2008 dated 19th May, 2008. and 22nd May, 2008 intimated to the Commission that various District Election Officers have pointed out some anomalies in respect of geographical congruity in the newly delimited Assembly Constituencies under their charge; and

WHEREAS, the Delimitation Commission setup a committee to undertake an on - the - spot verification of the areas concerned to verify the reported formation of islands in ACs of NCT of Delhi; and

WHEREAS, the said Committee of Delimitation Commission, after on - the - spot verification, found that in many instances some EBs are not contiguous with the other areas of the constituencies in which they have been included as per the Commission's order and form islands in adjoining constituencies; and

WHEREAS, the above said Committee of Delimitation Commission reported that these discrepancies have occurred because of haphazard numbering of Enumeration Blocks of a particular colony/locality by the office of the Registrar General of India and that the maps provided by RGI office were also not legible and location of these EBs on the maps has also not been properly indicated as revealed by the on - the - spot verification; and

WHEREAS, the Commission has considered and verified the facts brought to its notice by the Chief Electoral Officer, NCT of Delhi in the light of geographical contiguity and the provisions of the Delimitation Act, 2002 and many of the facts brought to the notice of the Commission by the Chief Electoral Officer, NCT of Delhi have been found to be correct.

NOW, THEREFORE, by way of this corrigendum to correct the above errors arising from inadvertent slips and having regard to the provisions of the Delimitation Act, the Delimitation Commission hereby orders that –

In Table A of the Commission's Notification No.282/DL/2006-Vol.V, dated 20th September, 2006 :-

- (1) EB No. 107 of DMC Ward No. 28 shall be excluded from the extent of 16 – Trinagar AC and included in 17 – Wazirpur AC.
- (2) EB No. 179 of DMC Ward No. 34 shall be excluded from the extent of 5 – Badli AC and included in 6 – Rithala AC.
- (3) EB No. 434 of DMC Ward No. 33 shall be excluded from the extent of 6 – Rithala AC and included in 13 – Rohini AC.
- (4) EBs No. 199 to 200 of DMC Ward No. 83 shall be excluded from the extent of 68 – Gokulpur (SC) AC and included in 63 – Seemapuri (SC) AC.
- (5) EB No. 110 of DMC Ward No. 84 shall be excluded from the extent of 62 – Shahdara AC and included in 63 – Seemapuri (SC) AC.
- (6) EB No. 152 of DMC Ward No. 85 shall be excluded from the extent of 63 – Seemapuri (SC) AC and included in 68 – Gokulpur (SC) AC.
- (7) EBs No. 52 to 54 of DMC Ward No. 65 shall be excluded from the extent of 53 – Badarpur AC and included in 54 – Okhla AC.

The Commission's order No. 30, dated 20th September, 2006 stands amended accordingly.

This order issues with concurrence of all members of the Delimitation Commission.

[No.282/DL/2008]

By Order,

SHANGARA RAM, Secy.

2062 GI/08-2